न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला:- दरभंगा,बिहार।

K. Asthan P.S. Case No:- 95/2021

G.R. No:- 317/2021

03.09.2021

अभिलेख संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। देखा। सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक राम सागर यादव (चौकीदार 10/8) पे० स्व० रौदी यादव फर्द बयान के आधार पर पुलिस द्वारा कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या- 95/2021 दिनांक 15.05.2021 भा०दं०वि०की धारा 279,337, 338, 304(A) के अंतर्गत अभियुक्त 1. जायलो गाड़ी राजिष्ट्रेशन नंबर DL8CL- 7071 के चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधानोपरांत अभियुक्त 1. जायलो गाड़ी राजिष्ट्रेशन नंबर DL8CL- 7071 के चालक मायाराम कामती पे० स्व० धनेश्वर कामती को भा०दं०वि० की धारा 279,304(A) के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 211/2021 दिनांक 02.09.2021 काण्ड दैनिकी के साथ न्यायालय में समर्पित किया है तथा अभियुक्त का नाम आरोप-पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के आधार पर आरोप-पत्र के कालम 11(i) में वर्णित अभियुक्त 1. मायाराम कामती पे० स्व० धनेश्वर कामती के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279,304(A) के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. मायाराम कामती पे स्व० धनेश्वर कामती के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279,304(A) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा अभिलेख निजी विचारण पंजिका में दर्ज किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त की उपस्थिति के लिये समन निर्गत करें

अभिलेख दिनांक 23.11.2021 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत।

टंकित/लेखापित

03.09.2021

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,

बिरौल, दरभंगा।